	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उप० पत्रावली
31/12/2024

2/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 24/5/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

24/5/25
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० बाबत जवाब अप्रार्थी सं. 6 पत्रावली दिनांक 3/6/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

3/5/25
पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 06 पत्रावली दिनांक 28/05/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

28/5/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 20/6/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

20/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 16/7/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

16/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थी सं. 6 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। जवाब पेश नहीं। जवाब बंद किया जाता है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18/7/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीरालाल v/s छुट्टनलाल
18/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभय पक्ष मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। संवत् 1999 से 2008 एवं गिरदावरी संवत् 2011 से 2038 से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जे काश्त का हिस्से अनुसार इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थी भूमि पर काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि मे बीरबल पुत्र कालू का गलत इन्द्राज हो गया है जो कभी वादग्रस्त भूमि पर काबिज नही रहा है। बीरबल पुत्र कालू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि को रहन, व्यय एवं निर्माण करने से पाबंद फरमाया जावे। प्रकरण मे दिनांक 2/6/2023 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तलबी अप्रार्थीगण कराई गई। अप्रार्थीगण से। लगा० 5 व 7 लगा० 20 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी सं० 6 को जवाब हेतु पर्याप्त समय देने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर जवाब बंद किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्न तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीरालाल v/s कुट्टनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1) प्रथम दृष्टया मामला
2) सुविधा का संतुलन
3) अपूर्णीय क्षति

1) प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थी वादग्रस्त भूमि मे खातेदारी चाहता है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ है। जिससे प्रा० पत्र खण्डन नही हुआ। प्रार्थी द्वारा पेश खसरा गिरदावरीयो के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के पूर्वजो का काश्त करना प्रतित होता है। मूल वाद का निस्तारण पर्याप्त साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जाना है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणो मे तीनो बिन्दुओ मे से एक भी बिन्दु जिस पक्षकार के पक्ष मे तय होता है। शेष बिन्दु भी उसी के पक्ष मे साबित होते है। इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अत: प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। आदेश है कि प्रकरण मे दिनांक 02.06.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म की जाती है। प्रकरण फैसल सुमार होकर मूल वाद के हमफिता हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18/7/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 18/7/25

न्याय अधिकारी